संख्या- 25 / 92 /चार-2015-12(बजट)2012 टीसी

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारतेन्दु नाटय अकादमी, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनागत पक्ष में प्राविधान के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी के पत्र संख्या- 2076/बजट/230/2014-15, दिनांक 06 जनवरी,2015 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1271/चार-2014-12(बजट)12 टीसी, दिनांक 20 जून, 2014 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर,2014 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारतेन्दु नाटय अकादमी, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 37.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि क्रमश: 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) तथा रूपये 6.25 लाख (रूपये छह लाख पच्चीस हजार मात्र) कुल रूपये 18.75 लाख (रूपये अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष रूपये 18.75 लाख (रूपये अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की अन्तिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग 1 के नियमों व समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- आगामी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व अकादमी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 , 2012-13 व 2013-14 की आडिट रिपोर्ट 31-3-2015 तक शासन को उपलब्ध करायेंगे । इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर -12 तथा अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 , भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनागत- 101- ललित कला शिक्षा-08- भारतेन्दु नाटय अकादमी लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 224 /दस-2015,दिनांक 18 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 25 / 92 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कार्यवाहक निदेशक, भारतेन्दु नाटय अकादमी, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in